दिनांक- 05.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 19/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- मिशन शक्ति कार्यक्रम/थाना कुलपहाड़

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा जनतंत्र इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत छात्र-छात्राओं को किया गया जागरूक, महिला सुरक्षा व साइबर अपराधों पर दी गई जानकारी।

जनपद महोबा में चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 05.05.2026 को कस्बा कुलपहाड़ स्थित जनतंत्र इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड द्वारा प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ व मिशन शक्ति कुलपहाड़ पुलिस टीम के साथ उपस्थित होकर छात्र-छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव एवं सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

उन्होंने छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध जैसे फर्जी कॉल, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया पर होने वाले अपराधों आदि के बारे में जागरूक करते हुए उनसे बचने के उपाय बताए। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु चल रही हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी भी साझा की गई।

क्षेत्राधिकारी महोदय ने सभी छात्र-छात्राओं को सतर्क एवं जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने की अपील की। उन्होंने बताया कि समाज की सुरक्षा एवं अपराधों की रोकथाम में आमजन की जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस दौरान विद्यालय स्टाफ एवं पुलिस बल उपस्थित रहा तथा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।

दिनांक- 05.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 20/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शंशाक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरूण कुमार सिंह के नेतृत्व में वारण्टी/वाछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

इसी क्रम में थानाध्यक्ष थाना कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के निर्देशन में गठित पुलिस टीम उ0नि0 आशीष कुमार यादव व का0 अभिषेक कुमार द्वारा दिनांक 05.05.2026 को एक नफर वारंटी अभियुक्त उमाशंकर पुत्र लालदिवान, निवासी ग्राम मकरवई थाना कबरई जनपद महोबा को संबंधित मु0अ0सं0 158/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट व जीएसटी नं0 453/23 के अंतर्गत बहद ग्राम मकरवई से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफ्तारी उपरांत अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

उमाशंकर पुत्र लालदिवान, निवासी ग्राम मकरवई थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 आशीष कुमार यादव
2. का0 अभिषेक कुमार

महोबा पुलिस

दिनांक- 05.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 21/26

पुलिस अधीक्षक महोबा की महत्वपूर्ण गोष्ठी

सुरक्षित व सुगम माहौल हेतु व्यापारियों के साथ पुलिस की संवादात्मक पहलः..,

आज दिनांक 05.05.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभाकक्ष में जनपद के सम्मानित व्यापारी संगठनों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का उद्देश्य जनपद की आर्थिक मजबूती के आधार स्तंभ व्यापारियों के साथ संवाद स्थापित कर सुरक्षा, सहयोग एवं समन्वय को और सुदृढ़ बनाना रहा।

गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सभी व्यापारी पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त करते हुए उनसे पुलिस से अपेक्षित सहयोग, कानून-व्यवस्था में सुधार तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी एवं कठोर कार्यवाही जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

व्यापारी बंधुओं द्वारा पुलिस प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। प्रमुख रूप से अतिक्रमण की समस्या, गुगौरा चौकी के पास सड़क निर्माण के चलते उत्पन्न जाम, सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता तथा भीड़-भाड़ वाले एवं जाम प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था जैसे मुद्दों/सुझाव पर परस्पर संवाद स्थापित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे, ताकि जनपद में सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित व्यापारिक वातावरण सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि अपने प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से चरित्र सत्यापन कराएं तथा सुरक्षा की दृष्टि से अपने प्रतिष्ठानों एवं बाजारों के एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे अवश्य स्थापित करें। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे अपराध नियंत्रण में अत्यंत प्रभावी हैं, जिससे अपराधियों की पहचान एवं गिरफ्तारी में सहायता मिलती है और अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगता है।

गोष्ठी के अंत में व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस अधीक्षक महोबा का पुष्प भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी अपराध श्री गौरव उपाध्याय सहित जनपद के विभिन्न व्यापारी संगठन के पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।